न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 130/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/495

1. लोगर पिता जेता मेघवाल निवासी धारता तहसील मावली जिला उदयपुर।

..........प्रार्थी

बनाम

1. केशु पिता भैरा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी– धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. गंगाराम पिता भैरा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. जमना पिता भैरा जी पति लोगर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी–आकोला तहसील भूपालसागर, जिला चित्तोडगढ (राज०)
4. जेराम पिता भैरा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी– धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. जालु पिता भैरा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी– धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. नारायण पिता भैरा जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. लछुड़ी पिता भैरा जी पति लोगर जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी–मजावड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
8. सोसर पिता भैरा जी पति देवीलाल जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी–मजावड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
9. गमेरा पिता नवला जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. गोटु पिता नवला जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी– धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. प्रथा पिता नवला जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी– धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. मांगी पिता नवला जी पति रामाजी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी–मजावड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
13. वेणीया पिता पिता नवला जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

13/1 नारायण पिता वेणिया निवासी धारता तहसील मावली जिला उदयपुर।

13/2 विकास पिता वेणिया निवासी धारता तहसील मावली जिला उदयपुर।

13/3 हेमराज पिता वेणिया निवासी धारता तहसील मावली जिला उदयपुर।

13/4 गीताबाई पिता वेणिया पत्नी नानालाल निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर।

13/5 प्रेमीबाई पिता वेणिया पत्नी खेमराज निवासी मुर्डिया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

13/6 सुमित्रा पिता वेणिया पत्नी दिनेश निवासी [illegible] सांवरीयाजी तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

13/7 ममताबाई पिता वेणिया पत्नी मुकेश निवासी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

14. देवीलाल पिता नवला जी जाति मेघवाल, उम्र वयरक, निवासी गजावड़ा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

14/1 सोसरबाई पत्नी देवीलाल निवासी मजावड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

14/2 पन्नालाल पिता देवीलाल निवासी मजावड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

14/3 प्रकाशचन्द्र पिता देवीलाल निवासी मजावड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

14/4 बद्रीलाल पिता देवीलाल निवासी मजावड़ा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

14/5 हेमाबाई पिता देवीलाल पत्नी रमेश निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

15. लालुराम पिता रामनारायण जी आमेटा जाति ब्राहाण, निवासी धारता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

16. पटवारी पटवार हल्का खेमपुर, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०)

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री रमेश बड़ाला, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 7
3. श्री राकेश प्रजापत, अधिवक्त विपक्षी संख्या 9 से 12

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा धारता, पटवार हल्का खेमपुर, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 330 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 330 के उत्तर दिशा के पड़ौस में विपक्षीगण संख्या 1 से 14 के खातेदारी की आराजी नम्बर 329 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, पूर्व दिशा के पडौस में विपक्षीगण संख्या 1 से 14 के खातेदारी की आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, कृषि भूमि स्थित हैं अर्थात विपक्षी संख्या 1 से 14 मेरी कृषि भूमि की उत्तर पूर्वी दिशा के पडौसी हैं। दक्षिण में विपक्षी संख्या 15 के खातेदारी की आराजी नम्बर 336 रकबा 0.1718 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित हैं अर्थात विपक्षी संख्या 15 मेरे कृषि भूमि की दक्षिण दिशा के पडौसी हैं। पश्चिम दिशा में बिलानाम रास्ता विपक्षी संख्या 17 के खातेदारी की आराजी नम्बर 357 रकबा 0.3885 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित हैं अर्थात विपक्षी संख्या 17 मेरी कृषि भूमि की पश्चिम दिशा के पड़ौसी हैं। मेरी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विपक्षीगण संख्या 1 से 15 पड़ौसी है जिस वजह से विपक्षी संख्या 1 से 15 हर साल वर्षा के समय [illegible] है और मुझ प्रार्थी व मेरी खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग [illegible] है तथा प्रतिवर्ष बाड़ की मरम्मत करने के बहाने मेरी [illegible] है तथा सीमा के स्थाई निशान

Signature Not Verified
Digitally signed by:Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

क्षत–विक्षत होने से सीमा बाबत् विवाद करते है और मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देते है और मेरे कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा मेरी बाड व वाडे में खडे वृक्षों को भी नुकसान पहुँचाते है और विपक्षी संख्या 1 से 15 धीरे–धीरे मेरी जमीन की और बढ़ते हुए मेरी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रार्थी संयुक्त खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूँ लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 15 जो मेरी जमीन के पड़ौसी है वह हर समय सीमा को लेकर विवाद करते है एवं लडाई झगडा कर मेरी कृषि भूमि पर कब्जा करने को आमादा रहते है एवं विपक्षी संख्या 1 से 15 मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को डरा धमका कर मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हडपने पर आमादा हो रहे है तथा मेरी बाड़ एवं बाड मे खडे वृक्षो को भी नाजायज तरीके से काटने पर उतारू है इसलिये मुझ प्रार्थी को मेरी उक्त कृषि भूमि की सभी दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण 15.10.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 15 ने मेरे हिस्से कब्जे की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद किया तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

2. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 से 15 के विरूद्व इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी संखा 330 की सीमा की सभी दिशाओं की पत्थरगती कराई जाकर सीमाकंन कराया जावें तथा विपक्षी संख्या 1 से 15 को पावन्द किया जावें कि वो मुझ प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराचीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, वृक्ष नारी उपभोग करने देवे, इसमे विन्सी कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट विपक्षी संख्या 1 से 15 के को दिलाया जावे। काटे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग पकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त से ही करावें। साथ ही मेरे खातेदारी की भूमि में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को दिलाया जावे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 7 का जवाब अधिवक्ता श्री रमेश बड़ाला द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में भुमि आवटंन से गलत अकंन हुआ है जब कि कथित प्रार्थना पत्र वर्णित भुमि पर विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से विपक्षीगण के मकानात बने होकर उपयोग उपभोग जब कि उक्त भुमि बीलानाम सरकार अकिंत थी तब से हम प्रार्थीगण के मौरूस मेरा व नवल [illegible] जब तक जिवित रहे उनका उक्त भुमि पर एकान्तिक स्वतन्त्र आधिपत्य रहा उनके [illegible] उपरान्त हम विपक्षीगण मृतक के वारिसो का कब्जा निरन्तर निराबाध चला आ रहा है। प्रार्थी का विवादित भुमि पर कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा नही रहा न आज भी है। मात्र राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण गलत नाम अकंन हो जाने से गलत मिथ्या व झुठे कथन प्रार्थना पत्र बनाने की नियत से अकिंत किये है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में पोषणिय नही हो स्वतः निरस्तीयोगय है। प्रार्थी को गलत आवटन होने से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के नाम आवटन भुमि के आदेश को चुनौती दी जाकर आवटन निरस्ती की प्रभावी कार्यवाही उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अलग से संस्थित कराई जा रही है। मौजा धारता में स्थित आराजी नंबर 329, 330, व 331 एवं 337, 338, 447 मौके पर एक ही चक में स्थित होकर विपक्षीगण ने विवादित भुमि को आबादान कर उपजाउ बना पीवल तथा विवादित भुमि पर कई फलदार वृक्ष लगा पक्के मकानात वर्षो से पुर्व बना रखे है जिनका उपयोग उपभोग विपक्षीगण विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से निवास कर निरन्तर भोग उपभोग करते चले आ रहे है यानिकी प्रार्थी का कभी भी विवादित भुमि पर एक पल के लिए भी कभी आधिपत्य नही रहा नही हैं ऐसी स्थित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्णित अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थना पत्र निरस्ती योगय है इनता ही नही प्रार्थी ने भी इस प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष की अन्तिम पक्ति में भी यह भी कथन स्पष्ट रूप से अकंन किया है कि मेरे खातेदारी की भुमि विपक्षी संख्सा 1 से 15 के कब्जे में पाई जावे तो उसका भी कब्जा भी मुझ प्रार्थी को दिलाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित कथन से भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इस प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भुमि की पत्थरगडी नही करा कब्जा करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तीयोगय है वैसे भी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट कानुनन लेण्ड रेवन्यु एक्ट की कार्यवाही कार्यवाही एक साथ कानुनन सम्पादित ही नहीं की जा सकती है न ही चलाई जा सकती है। जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित वाछित अनुतोष तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

4. विपक्षी संख्या 9 से 12 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 8, 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 16, 17 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।

5. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील [illegible] जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 187 पर दर्ज आराजी नम्बर 330 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी अनुसार खातेदार है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो कब्जा भी दिलवाया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा भी जवाब में अंकित किया गया है कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा नही है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मौके पर किसी को कब्जा नही दिया जा सकता है तथा ना ही किसी को बेदखल किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 187 पर दर्ज आराजी नम्बर 330 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त आदेश के तहत मौके पर एक दूसरे को बेदखल करने का प्रयास नही करें। यदि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो इसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार मावली को भी निर्देशित किया जाता है कि पत्थरगड़ी के आदेश के तहत मौके पर कब्जा नही दिलाया जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
7. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
8. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर